

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम भारतीयांक 14)

(22 अक्टूबर, 2013)

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण की
लैंगिक उत्पीड़न के परिवारों के निवारण तथा
प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके
आनुपर्याप्तिक विषयों का उपचार

करने के लिए

अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा में जीवन व्यतीत करने के किसी महिला वे मूल अधिकारों और विस्तृति का व्यवसाह करना या कोई उपजीविका, व्यापार या कारबाह करने के अधिकार का, जिनके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त मुराजन बातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है।

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कायं करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपचार करना नीचीन है;

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में सनद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार सपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “व्यथित महिला” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला चाहे नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यक्षी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभियन्त करती है;

(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है;

(ख) “समुचित सरकार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,—

(अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार;

(ब) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, राज्य सरकार;

(ii) उद्योग (ii) के अनुसार के दूसरी चाल और तृतीय -

१०८) अपेक्षा न घास की उत्पत्ति विवरण करना।

(३) "धन्यवाचकार" में दिया गया एक प्रतीक्षित कोड अंग्रेजी अनुवाद है।

(c) "नियोजक" से निम्ननिवित अभिप्रेत है—

(i) समुचित मरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम संस्था, वार्यालय, शास्त्र या यूनिट के मंड़ब में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कानूनीय शाखा या यूनिट का प्रधान या एसए अन्य अधिकारी जो, यथास्थिति, समुचित मरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएः

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के सदब्द में, कार्यस्थल के प्रधान प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण के लिए उन्नतदायी कोई व्यक्ति।

स्पष्टीकरण—इस उपचार के प्रयोजनों के लिए, “प्रवध” के अतिरिक्त ऐसे समाज के लिए नीतियों की विनियमिति और प्रश्न, जैसे लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी है।

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में, अपने कमेचार्टियों के संबंध में संविदात्मक वाद्ययनाओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति;

(iv) विनी निवास स्थान या गृह के संबंध में, एसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रवर्त्तन या नियोजन की प्रकृति या धरेन्द्र कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार किए विना, घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है;

(द्व) "स्थानीय समिति" से धा. 6 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति अभिष्रेत है;

(ज) "भद्रस्य" से, यथास्थिति, आंतरिक समिति एवं समीक्षा

(क) "किं

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बना गया है।

(इ) "प्रभाव" का अर्थ है-

(३) "पीठामीन अधिकारी" से धारा 4 की उपधारा (२) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक प्रभाव - कि का पीठामीन अधिकारी अभिप्रेत है।

(५) "प्रत्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिषेन्ह है कि वहाँ नामानादिष्ट किया गया आंतरिक परवाद समिति

(८) "नींगिक उत्पीड़न" के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवाद्यनीय कार्य या व्यवहार जैसे अधिकतर रूप से हैं, अर्थात्

(i) शारीरिक संपर्क, और अग्रगमनः या

(ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अन्तरों

(iii) लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना: या

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या

(v) लैंगिक प्रवृत्ति का कोई अन्य अवाञ्छनीय शारीरिक, मौखिक या अभौखिक आवरण करना, स्थिल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) एमा कोई विभाग, मण्डल, उपरा. भ्राता, उद्यम, मन्दी, कार्यस्थल प्राप्ति या शुभ्र, जो मर्मचार संवाद या व्यापारिय प्राप्तिकरण या विनि. मर्मकारी करने की या विवेचन संसाधन समझौते होने की विधियां द्वारा विवरणीय भी जाती है।

(ii) वैरों द्वारा दिए गए निकल, नियोजन या विवेचन संसाधन की विधियां द्वारा विवरणीय भी जाती है। इनमें से अन्य विवेचन संसाधन की विधियां द्वारा विवरणीय भी जाती है।

परंतु विवेचन की विधि विवरणीय भी जाती है।

(iii) विवेचन की विधि विवरणीय भी जाती है। इनमें से अन्य विवेचन संसाधन की विधियां द्वारा विवरणीय भी जाती है।

(iv) विवेचन से उद्भूत या उभय प्रकार के द्वारा कर्मचारी द्वारा पारिवहन कोड स्थान जिसके अन्तर्गत एसो. ग्राहा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है।

(v) कोई निवास स्थान या कोई गृह।

(vi) किसी कार्यस्थल के संबंध में, असंगठित संकटर में एमा कोई उद्यम आंभप्रत है, जो व्यापिया द्वा व्यविधियां जहाँ उद्यम, कर्मकारों को नियोजित करता है, वहा एसे कर्मकारों की सङ्घय इस से अन्यून है।

3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण—(1) किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान हैं या उसमें संबद्ध हैं, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकती हैं।

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुन्पष्ट बचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुन्पष्ट धमकी देना; या

(iii) उसके बत्तमान या भावी नियोजन की प्राप्तिकरण के बारे में विवक्षित या सुन्पष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य बातावरण सूजित करना; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की सभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना।

बधाय 2

आंतरिक परिवाद समिति का गठन

4. आंतरिक परिवाद समिति का गठन—(1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, “आंतरिक परिवाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा।

परंतु जहाँ कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें, भिन्न-भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं, वहा आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

(2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित मदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी;

परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नामनिर्देशित किया जाएगा;

परंतु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समन्वयों के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में विशेषज्ञ हैं या विधिक ज्ञान है;

(८) जिला अधिकारी संबंधी या मरम्मा में से कोई प्रति विवाद या विवादित मरम्मा के सम्बन्ध में हो न।
कोई अधिकारी जो निम्न उचित उचित में संबंधित मरम्मा में शुभाभित्ति।

(९) भारतीय सर्वित वा पीठासीन अधिकारी जो प्रत्येक मरम्मा प्रत्येक नामनिर्देशन की वार्ताएँ के बीच होती है।
सर्वित के निम्न पद प्राप्त करेगा, जो नियोजन द्वारा विभिन्न पद।

(१०) जिला अधिकारी संबंधी या मरम्मा में से नियुक्त किए गए मरम्मे जो आवाहन विवाद के बीच होती है।
नियुक्त द्वारा ऐसी फीस या मरम्मा, जो विवित किए जाते, नहीं किए जाते।

(११) जहा आर्थिक समिति को पीठासीन अधिकारी या कोई मरम्मा।

(क) शार्ना 16 के उपचर्धी वा उल्लंघन करता है। या

(ख) विसी अपराध के लिए मिल्डोप ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्त्वमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन
अपराध की कोई जांच नहिं है; या

(ग) किन्तु अनुशासनिक कायंवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कायंवाही
है; या

(घ) अपनी हैमियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित पर प्रति
प्रभाव ढालने वाला हो गया है,
वहां, यथान्विति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सूजित रिक्ति या किसी अ
आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपचर्धों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

अध्याय ३

5. जिला अधिकारी की अधिसूचना—समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का
निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला
अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकती।

6. स्थानीय परिवाद समिति का गठन
से जहां दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है
वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए “स्थानीय परिवाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा।

(१) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या
नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के
लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

(२) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गठित की गई है।
7. स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निवंधन तथा शर्तें—(१) स्थानीय परिवाद समिति, जिला
अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

(क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रत्यावर्ती अधिकारीयों की समस्याओं के प्रति प्रतिवद महिलाओं में से
नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ख) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, ताल्लुका या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से
नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिवद ऐसे
गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से या ऐसा व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित हो जो विहित
किए जाएं, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

परंतु कम से कम एक नामनिर्देशिती के पास, अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए।
परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिती, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछ्ले
वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी।

(घ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित सबद्ध अधिकारी, सदस्य पदेन होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रस्त्रव भद्रस्य, उसके निवित की तारीख में जो दृष्टि किए गए धारणा करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विनिवित की जाए।

(3) जल स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य

(4) धारा 16 के उपचंद्र का उपचंद्र इत्यहारा

जिसके बिचे प्रस्त्रव भद्रस्य के दृष्टि द्वारा विनिवित किए जाएँ तथा उसके दृष्टि द्वारा विनिवित की जाएँ जो उसके दृष्टि द्वारा विनिवित की जाएँ

प्रश्नाच दृष्टि द्वारा विनिवित को इन प्रकार दृष्टिव्याप्त होता है, जिसमें उमड़ा अपने पक्ष द्वारा विनिवित की जाएँ वाला हो गया है।

बड़ा, यथानिवित, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य का समिति से हटा दिया जाएगा किंतु इन प्रकार मूर्जित रिक्त द्वारा विनिवित की दृष्टि द्वारा का उपचंद्रों के अनुसार नाम नामनिवित्तन से भरा जाएगा।

(4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के छठ (छ) और छठ (छ) के अधीन नामनिवित्त सदस्यों में जिस विवित की दृष्टि द्वारा (1) के उपचंद्रों के अनुसार नाम नामनिवित्तन से भरा जाएगा।

8. अनुदान और संपरीक्षा—(1) केंद्रीय सरकार, सनद द्वारा इन निवित विधि द्वारा किए गए सम्बन्ध विनियोग के स्थानीय समिति की वार्षिकाहियां करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशि

(2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुदान अंतरित कर सकेगी।

(3) अभिकरण, जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में निवित फीसों या भत्तों के संदाय लिए अपेक्षित हों, संदाय करेगा।

(4) उपधारा (2) में निवित अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य व महालेखाकार के परामर्श से विवित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिकरण में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विवित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 4

परिवाद

9. लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद—(1) कोई व्यथित महिला, कायेस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और शृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित विवित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

परंतु यह ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति का परिवाद करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता या प्रदान करेगा।

परंतु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास से अनधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिसमें महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से विवारित किया था।

(2) जहां व्यथित महिला, अपर्याप्त शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहां उसका विधिक वारिया या ऐसा अन्य व्ययित जो विवित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

10. सुलह—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले को निपटाने के उपाय कर सकेगी।

परंतु कोई धनीय समझौता, सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस विनिवित की जाए, करने के लिए भेजेगी।

(3) यथास्थिति, जांच महिला को अधीन रखा गया है, उपर्युक्त दस्तावेज़ के अधीन अधिकारी को उपलब्ध कराएगी।

(4) उपर्युक्त दस्तावेज़ (1) के अधीन कोई समाधान द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, और उपर्युक्त दस्तावेज़ का अधीन रखा जाएगा।

11. परिवाद की जांच—(1) उपर्युक्त दस्तावेज़ के अधीन रखा जाएगा, जो अधीन रखा जाएगा, तो विहित को जांच करना या स्थानीय समिति या अधीन को अधीन रखा जाएगा। उपर्युक्त दस्तावेज़ के अधीन रखा जाएगा, तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 और इहां जारी हो, वहां उक्त संहिता अनुसार उपवधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए मात्र दिन की अवधि के भीतर पुलिम को परिवाद भेजेगी।

परंतु जहां व्यथित महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह समुचित करती है तो धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किए गए समझौते के किसी निवधन या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिवाद की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिम को परिवाद भेजेगी। परंतु यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहां पक्षकारों को, जांच के अनुक्रम के दौरान, मुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को, समिति के समझ निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 में किसी वात के होते हुए भी, न्यायालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का तिल्खदोष उत्तराया जाता है, तब धारा 15 के उपवधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के सदाच का

शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसको शपथ पर परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना,

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन जांच, नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

अध्याय 5

परिवाद की जांच

12. जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई—(1) जांच लंबित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी,—

(क) व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या

(ख) व्यथित महिला को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या

(ग) व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना।

(2) इस धारा के अधीन व्यथित महिला को अनुदत्त छुट्टी ऐसी छुट्टी के वितरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।

13. जांच रिपोर्ट—(1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि व भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिक्षण साबित नहीं किया गया है वहां, वह, नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में किसी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवाद विरुद्ध अधिकारी को निम्नलिखित के लिए विपरीत बताया जायगा, वहां वहां यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी में निम्नलिखित के लिए विपरीत बताया जायगा—

(i) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपचार के अनुसार विभिन्न विधियों के द्वारा लागू लिया जाना विपरीत बताया जायगा, वहां यथास्थिति में, जो विभिन्न विधि लागू करने के लिए विपरीत बताया जायगा है;

(ii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में विभिन्न विधियों के द्वारा लागू करने के लिए विपरीत बताया जायगा, वहां यथास्थिति में, जो विभिन्न विधि लागू करने के लिए विपरीत बताया जायगा है;

(iii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में विभिन्न विधियों के द्वारा लागू करने के लिए विपरीत बताया जायगा, वहां यथास्थिति में, जो विभिन्न विधि लागू करने के लिए विपरीत बताया जायगा है;

परंतु यह और विधि यदि प्रत्यर्थी, खंड (iii) में निर्दिष्ट रूप से सदाचार विधि में अनुसार नहीं है तो, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, सर्ववित्त जिला अधिकारी को भू-राजस्व के विवादों के अन्य नियमों की विधि के लिए आदेश प्रदान करेगा।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के भाट दिन के भीतर उम पर कार्रवाई करेगा।

14. मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड—(1) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यक्ति महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटरचित या भ्रामक धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद किया है, उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में केवल असमर्थता, इस द्वारा के अधीन परिवाद के विरुद्ध कार्रवाई आकर्षित नहीं करेगी।

परंतु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात् परिवादी की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज दिया है, वहां वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई वरने की सिफारिश कर सकेगी।

15. प्रतिकर का अवधारण—द्वारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन व्यक्ति महिला को सदृश की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी।—

(क) व्यक्ति महिला को कारित हुए मानसिक आधात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि;

(ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनश्चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;

(घ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत;

(ङ) एकमुक्त या विस्तो में ऐसे संदाय की साइरता।

16. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्रवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) में किसी जात के होने वाली अधीन 9 के अधीन विए गए परिवाद की अंतर्वस्तुओं, व्यक्ति महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान और पते, सुनह और जांच कार्रवाहियों से संबंधित किसी जानकारी, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, किसी भी रीति से, प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

परंतु इस अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की किसी पीड़ित को सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यक्ति महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रकल्पित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना, प्रसार किया जा सकेगा।

17. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्रवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शक्ति—जहां कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने वा-

इस घर कायेवाटी बनते ही कमेंट मापा गया है, प्रायः 10 के अवधि के उपर्युक्त दरमाएँ होती हैं। इसके अनुसार यह जहाँ से सेंच निकल दिया जाए वहाँ वहाँ दरमा निर्धारित कर दिया जाता है।

(२) उपर्युक्त (१) के प्रधीन अवधि, विकारिश्वे ३ नवंव्रे दिन की अवधि के भीतर की आपूर्ति।

अध्याय ८

नियोजक वे वर्तमान

19. नियोजन के वर्तन्य—प्रत्यक्ष नियोजन

(क.) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर मंपके में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है।

(ख) लैगिक उत्पादन के शास्त्रीय परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा;

(ग) अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएँ और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आयोजित करेगा:

(घ) यदास्थिति, आतंरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक मुविधाएँ उपलब्ध कराएगा;

(८) यथास्थिति, आतंरिक समिति या स्वानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी और माक्षियों की हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा;

(च) यथान्विति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन विए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो;

(d) महिला को, यदि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना, चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा,

(ज) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यक्ति ने महिला एसी बांधा करती है, जहाँ अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा:

(ज) लैगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन करावाया जाए।

(ज) यांत्रिक समिति द्वारा रिपोर्ट को सम्मान पाए जाना चाहे भागीदार आर एस कदाचार के

जिला शाधिकारी के कर्तव्य हैं—

20. जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां।

(क) स्थानीय समिति द्वारा की गई विवेदनी—

(ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी मूजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हों।

५३४

पुस्तकालय

प्रकाण
21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक कलैडर वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(2)

जिला अधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वर्गिक नियमों पर आवश्यक गिरावट सबूत का प्रयोग करने की अनुमति, यदि बोर्ड हो, तो उसके समाचार की वार्ता के माध्यम से इस विधि का अनुमति दिया जाएगा। यह अनुमति दिया जाएगा कि उसके लिए उपर्युक्त विधि का अनुमति दिया जाएगा।

23. समूचित संचार हाल का वार्तालय की मानिती और शास्त्रीय रूप से भर्तिक विधि का अनुमति दिया जाएगा। यह अनुमति दिया जाएगा कि उपर्युक्त विधि के अनुसार उपर्युक्त विधि का अनुमति दिया जाएगा।

24. समूचित संचार हाल का अधिनियम के इच्छाएँ विधि के अनुसार उपर्युक्त विधि का अनुमति दिया जाएगा।

(ब) कार्यस्थल पर सहभागीय कार्यक उत्पादन से सरधाय के लिए उपयोग करने वाले इस विधिनियम के अनुसार उत्तमता की समझ बढ़ाने के लिए सुनिश्चित सूचना, विधि संकेतन दी गयी है। सामग्रिया विवरण का संकेतन करने की

(ब) स्थानीय परिवाद समिति के मतभ्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यस्थल विभिन्न कर सकती।

25. सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति—(1) समूचित संचार, यह समाधान हो जाने पर कि एमा करना योक हित में या कार्यस्थल पर सहिता कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा,—

(ब) किसी नियोजक या जिला अधिकारी में लैंगिक उत्पादन के संबंध में ऐसी लिखित सूचना जो उसको अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकती;

(च) किसी ऐसे अधिकारी को लैंगिक उत्पादन के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक द्वारा जिला अधिकारी, माग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अधिकारी में ऐसी सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे नियम की विषय-वस्तु से संबंधित हैं।

26. अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्ति—(1) जहाँ कोई नियोजक,—

(ब) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा,

(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन वहा वह, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसी अपराध को करता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह,—

(i) उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकारी दण्ड के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने पर अधिरोपित दण्ड से दुगुने दण्ड का दायी होगा।

परंतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, कोई उच्चतर दण्ड विहित है तो न्यायालय दण्ड देते समय उसका सम्बन्ध संज्ञान लेगा।

(ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित, यथास्थिति, रक्करण के लिए दायी होगा।

27. न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, व्यधित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस नियम प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय न करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अबर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञय होगा।

28. अधितियम का विस्तीर्ण अन्य विधि के अल्पाकारण में न होता—इस अधितियम के उपर्युक्त नियम प्रबंधित विषय विधि के अन्तर्गत होते, तो यह इनके अल्पाकारण में

29. समुचित मरणाल वी नियम द्वारा ली गई है। इसके अनुसार एक व्यक्ति का मरण नियम द्वारा ली गई है। यहां मरणाल

(१) विद्युत उपकरणों की सुधारनाएँ शास्त्रीय विद्याएँ विद्युत उपकरणों की सुधारनाएँ शास्त्रीय विद्याएँ

प्राचीन शिल्पों का विवरण (१) के बाटे (२) के सर्वानन्द महाराज द्वारा नामित

(८) धारा ७ वीं उपधारा (४) के अर्थात् अधिक और महस्य को सदृश की जान वाली दीन या धर्म,

（三）在本办法施行前，已经完成的项目，其建设、运行和维护管理，按照本办法执行。

卷之三十一

(१) अन्तिम शब्दम् (१) अन्तिम शब्दम्

(१) वर्णन का अध्यारोपण (२) क्रमसंकेत (३) क्रमानुसार जाचवने का शक्तिया,

(छ) घास 12 का उपचार (१) वा बहु (२) के अधान सिक्तार्थ का जन वाला रहा।

(ज) धारा 13 की उपधारा (3) के बड़े (i) के अध्यान को जान वाला कारबाह की गति,

(ज) धारा 14 का उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन का जान वाला कारबाई का दाया।

(ज) धारा 17 के अधीन को जान वालों का रखाई करने की रूपी

(ट) धारा 18 को उपधारा (1) के अधीन अपील की रीति।

(ट) धारा 19 के खंड (ग) के अर्द्धान कर्मचारियों को सुधारी बनाने के लिए कायशालाएं, जानकारी का आतंकिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति; और

(३) धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तथा लिए प्ररूप और समय।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथार्थ प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अच्यवा दे आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाट के सत्र के अवसान के पूर्व दोन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उन दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। केंद्रीय प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं

(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन द्वारा जाएगा।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई न है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न कठिनाई को दूर करने के लिए उमेर आवश्यक प्रतीत ही :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश वित्त जाने के पश्चात्, यथार्थीघ्रं संसद् के प्रत्येक सदृशा लगाया।